हेतु संदर्शित करने की सूचना (साधारण प्रारूप)

न्यायालय जिला जज स्थान गाजियाबाद

वाद संख्या 62 सन् ई 2019

जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद

सपना वादी

प्रति

व फजल उर्फ आदि प्रतिवादी

ओला फ्लोर टेक्नोलोजीज प्रा० लि०
मि- लोअर ग्राउण्ड फ्लोर प्लाट न० 86 उद्योग विहार
फेज-1 गुड़गांव, हरियाणा द्वारा डायरेक्टर

चूंकि ऊपरी नामांकित पिटीशनर ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतएव आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ हेतु संदर्शित करने के लिये बतारीख 29 माह 5 सन् 2019 बवक्त १० बजे दिन में स्वयं या सम्यक् रूपेण अनुदिष्ट अपने अभिवक्ता द्वारा उपसजात हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय में सुना जाएगा और आवधारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज के दिवस को निकाली गई

(मुहर: न्यायालय ... न्यायाधीश ... प्रदेश)

नाम अदालत -
नाम मुकदमा -
नाम फरीकैन -

...ांक :– 02-05-19

...ली मण्डल, बरेली।

...प–4

...ोनी,

वादीगण

...य में दिनांक 22.05.2019

...दमें से सम्बन्धित सम्पूर्ण ...रकर्ता के समक्ष उपस्थित ... पक्ष उपस्थित नही होता है ,तो उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी।

संलग्न :–वाद पत्र।

(मुहर: कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ... बरेली)

(अनुपमा गौतम)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,एवम्
उप श्रमायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

संख्या 2860-61 / उ0श्रमा0कोर्ट–19 दिनांक :– 02-05-19

न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवम् उप श्रमायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

वाद संख्या 68 / ई0सी0ए0 / 2019

श्रीमती ललिता उपाध्याय पत्नी स्व0 सौरभ उपाध्याय व अन्य–4
निवासीगण जी0एस0एम0 इन्टर कालेज के पास श्याम कालोनी,
दामोदरपुरम सुभाषनगर बरेली।

वादीगण

बनाम्

1–मैसर्स ओला फिलिट टैक्नोलॉजी प्रा0 लि0,
प्लाट नं0 86, उद्योग विहार फेस नं0–1 गुड़गांव
हरियाणा।
(स्वामी ओला कार संख्या यू0पी0–25–सीटी 7828)
2–ललीता प्रसाद जोशी पुत्र नामालूम,
निवासी विकास नगर विश्वनाथपुरम बदायूँ रोड, बरेली।
(अण्डर कन्ट्रोल ओला कार संख्या यू0पी0–25–सीटी 7828)

"सम्मन"

उपरोक्त लिखित मुकदमें की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 22.05.2019 को समय करीब 2–बजे अपरान्हन में निश्चित की गयी है।

उभयपक्षों को सूचित किया जाता है कि वह मुकदमें से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखों सहित नियत तिथि एंव समय पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हों। विदित रहे कि यदि नियत तिथि व समय पर कोई भी पक्ष उपस्थित नही होता है ,तो उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी।

संलग्न :–वाद पत्र।

(अनुपमा गौतम)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,एवम्
उप श्रमायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

आर0 एम0 सिंह
चैम्बर नं0 ... रोड
सिविल कोर्ट, बरेली-243001
Mob -9837048958

न्यायालय नियोजन क्षतिपूति/कर्मकार प्रतिकर उपश्रमायुक्त बरेली।

नि0क्ष0 वाद संख्या 68 सन् 2019

1. श्रीमती ललिता उपाध्याय पत्नी स्व0 सौरभ उपाध्याय उम्र 34 वर्ष
2. कृष्णा उपाध्याय पुत्र स्व0 सौरभ उपाध्याय उम्र 10 वर्ष
3. अक्षत उपाध्याय पुत्र स्व0 सौरभ उपाध्याय उम्र 7 वर्ष
4. श्री महेश चन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व0 चन्द्रशेखर उपाध्याय उम्र 65 वर्ष

   समस्त निवासीगण जी0एस0एम0इन्टर कालेज के पास, श्याम कलौनी दामोदरपुरम, सुभाषनगर, बरेली उ0प्र0।

याची संख्या 2 व 3 नवालिंग है जो अपनी प्रकृतिक संरक्षिका और सगी मां याची संख्या 1 के तरफ से वाद में प्रतिनिधित्व कर रहे है।

.........याचीगण

बनाम्

1. नैसर्स ओला फिलिट टैक्नोलॉजी प्रा0 लि0 प्लाट नं0 86 उघोग विहार फेस नं0 1 गुडगांव हरियाणा (स्वामी ओला कार संख्या यू0पी0 25 सी0टी0 7828)
2. श्री ललीता प्रसाद जोशी पुत्र श्री नामालूम निवासी विकास नगर विश्वनाथपुरम बदायूं रोड बरेली। 243001

   (अन्डर कन्ट्रोल ओला कार संख्या यू0पी0 25 सी0टी0 7828)

"प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा नियोजन क्षतिपूर्ति कर्मकार प्रतिकर संशोधित अधिनियम 2010"

श्रीमान जी,

प्रार्थीगण निम्नलिखित निवेदन करते है:-

1. यह कि प्रार्थिनी संख्या 1 के पति 2 व 3 के पिता तथा 4 के पुत्र स्व0 सौरभ उपाध्याय विपक्षी के ओला कार संख्या यू0पी0 25 सी0टी0 7828 पर चालक के रूप में कार्यरत था जिसको वाहन स्वामी द्वारा रूपया 10000/- प्रतिमाह वेतन व रूपये 100/- रोज खाना खर्चा दिया जाता था।

..........2

ललिता उपाध्याय

2. यह कि घटना वाले दिनांक 03.02.2019 को मृतक उक्त ओला कार को लेकर वुकिंग मे गया हुआ था शाम तक जब घर लौटकर नही आया तो मृतक की पत्नी द्वारा ओलाकार के अन्डर कन्ट्रोल स्वामी श्री ललिता प्रसाद जोशी से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारी कार का भी कोई अता पता नही चल रहा है और ना ही मृतक से सम्पर्क स्थापित हो रहा है। तब मृतक के पत्नी द्वारा थाना सुभाषनगर बरेली में इस आशय का सूचना दर्ज कराया गया। वाद में यह तथ्य संज्ञान में आया कि वदमाशों द्वारा लूट के आश्य से मय ओलाकार के मृतक का अपहरण कर लिया गया था और सबूत मिटाने के आशय से मृतक को दिनांक 03.02.2019 से 10.02.2019 के बीच किसी दिन मार कर उसकी लाश सुभाष नगर के नाला में रात्रि को डाल गये थे। दिनांक 10.02.2019 को मृतक के लाश बरामद हुआ तथा ओलाकार बसुन्धरा होटल बरेली के पास वदमाशों द्वारा पकड़े जाने के भय से छोड़कर भाग गये। मृतक के लाश से कार बरामदी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है।

3. यह कि मृतक/चालक सौरभ उपाध्याय की मृत्यु विपक्षी वाहन स्वामी के सेवायोजन के अनुक्रम में आई चोटों के कारण हुई है ऐसी दशा में याचीगण विपक्षीगण से क्षतिपूर्ति पाने के पात्र है।

4. यह कि नियोजन क्षतिपूर्ति कर्मचार प्रतिकर संशोधित अधिनियम 2010 के अनुसार स्व0 सौरभ की मृत्यु के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति रूपया 1200000/- बनता है, जिसे याचीगण विपक्षीगण से पाने के पात्र है।

5. यह कि इस प्रकरण में धारा 10 के नोटिस की आवश्यकता नही है क्योंकि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन स्वामी की जानकारी में है और उसने प्रश्नगत वाहन को थाने से अपनी सुपुर्दगी में लिया था।

..............3

आर० एस० सिंह
एडवोकेट
चैम्बर नं० 3 खजाना रोड
सिविल कोर्ट, बरेली-243001
Mob -9837048968

ललिता उपाध्याय [signature]

6. यह कि याचीगण मृतक सौरभ उपाध्याय पर पूर्ण रूप से आश्रित थे और उनके अलावा घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। उसकी असमायिक मृत्यु से प्रार्थीगण निराश्रित हो गये है और उनका जीवन दुष्कर तथा अंधकारमय हो गया है।

7. यह कि प्रश्नगत दुर्घटना श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घटित हुई है अतः श्रीमान जी को प्रस्तुत वाद को सुनने व निर्णय करने का पूर्ण हक है।

प्रार्थना

8. याचीगण निम्नलिखित प्रार्थना करते है:–

1. यह कि रूपया 1200000/– मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज घटना के दिनांक से अदायगी तक विपक्षीगण से याचीगण को दिलाया जाये।
2. यह कि वाद व्यय विपक्षीगण से याचीगण को दिलाया जाये।
3. यह कि नियमानुसार पेनाल्टी भी विपक्षीगण से याचीगण को दिलायी जावे।
4. कोई अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय याचीगण के हक में उचित समझते हों, भी विपक्षीगण से दिलाने की कृपा करें।

आर० एम० सिंह
चैम्बर नं० ... रोड
सिविल कोर्ट, बरेली–243001
MOB -9837048958

ललिता उपाध्याय [signature]

सत्यापन

हम कि याची संख्या 1 मृतक की पत्नी अपने नाबालिग बच्चों याची संख्या 2 लगातय 3 की ओर से प्राकृतिक संरक्षिका तथा संख्या संख्या 4 मृतक के पिता एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त पिटीशन में दिया गया विवरण हमारे ज्ञान एंव विश्वास में सत्य व सही है।

तस्दीक आज दिनांक 28.02.2019 को बरेली कचहरी में किया गया।

आर० एम० सिंह
एडवोकेट
चैम्बर नं० 13 ... रोड
सिविल कोर्ट, बरेली–243001
MOB -9837048958

ललिता उपाध्याय [signature]